## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

## खण्डपीठ श्री राजीव चौधरी, सदस्य श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

......अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप–राजकीय अभिभाषक

श्री महेन्द्र दवे, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से. निर्णय दिनांक : 07/06/2017

### निर्णय

अपील संख्या 1254 / 2008 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), 1. -वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 13.3.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2003–04 का कर निर्धारण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29 में दिनांक 18.3.2006 को पारित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर दिनांक 25.2.2004 को सर्वेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के मामलों में कर एवं शास्ति आरोपित की गयी थी। व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवसायियों से बिना कर चुकाये घोषणा पत्र एस.टी.17 के समर्थन से रूपये 3.39 करोड़ की तिलहन राज्य के भीतर खरीदकर राज्य का कर चुकाये बिना भारत के बाहर निर्यात के क्रम में अन्य राज्यों के निर्यातकों को माल विक्रय कर देने से उस माल की खरीद पर क्रय कर का दायित्व निर्धारित किया गया था उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.3.2006 के विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अन्य बिन्दुओं पर निर्णय कर अपील आंशिक स्वीकार कर कुछ बिन्दुओं पर प्रकरण पुनः जांच हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था परन्तु घोषणा पत्र एस.टी.17 पर बिना कर चुकाये की गई खरीद पर राज्य का कर नहीं चुकाने के कारण आरोपित क्रय कर को यथावत रखा गया था, उस एक बिन्दु पर व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमें मुख्यतया विधि का बिन्दु विवादित है।

amisurtur )17 लगातार.....2

 इसी प्रकार अपीलार्थी राजस्व की ओर से भी उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 13.03.2008 से क्षुब्ध होकर निम्न बिन्दुओं पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है –

-: 2 :-

(1) यह कि व्यवहारी के विरूद्ध पारित कर निर्धारण आदेश में घोषणा पत्र एस.टी.17 के समर्थन पर की गई तिलहन खरीद पर आरोपित क्रय कर, ब्याज एवं शास्ति के बिन्दु पर अपील निर्णय में क्रय कर के आरोपण को विधिसम्मत माना गया है जबकि क्रय कर राजकोष में जमा नहीं होने पर जो ब्याज का आरोपण किया गया था उसे अविधिक रूप से अपास्त किया गया है

(2) इसी प्रकार उक्त क्रय कर के दायित्व की पुष्टि की गई है परन्तु करापवंचन की मंशा से क्रय कर नहीं चुकाये जाने के आधार पर अधिनियम की धारा 64 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 20,00,976 / – को अपास्त किया गया है उसे भी अविधिक बताया गया है।

(3) तिलहन की कुल खरीद में से रूपये 13,72,500 / – की खरीद को छिलका रहित तरबूज बीज की खरीद मानते हुए उस पर आरोपित किये गये क्रय कर को अपास्त किया गया है जबकि व्यवहारी द्वारा ऐसा कोई सबूत कर निर्धारण अधिकारी को नहीं दिया गया था कि वह तरबूज बीज की खरीद है।

(4) व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 25.02.2004 को किये जाने पर तिल एवं रायड़ा भौतिक सत्यापन में घोषित स्टॉक से कम पाया गया था अतः उतने माल की बिक्री मानते हुए कर रूपये 15,568/– एवं करापवंचन के कृत्य के लिये रूपये 31,136/– की शारित आरोपित की गयी थी उसे अविधिक रूप से अपास्त किया गया है।

(5) सर्वेक्षण में रूपये 12,312/– किग्रा. गेहूं भौतिक रूप से घोषित स्टॉक से अधिक पाये जाने पर कर रूपये 4063/– एवं अधिनियम की धारा 77(8) के तहत शास्ति रूपये 18,468/– आरोपित की गयी थी, उसे अपास्त कर प्रकरण पुनः जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया है वह अविधिक है।

3. व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.3.1997 की अधिसूचना के जरिये तिलहन पर कर का बिन्दु (Point of Tax) विक्रय के अन्तिम बिन्दु पर निर्धारित किया गया था। सम्बन्धित अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)एफडी/टैक्स डिवी./97–135 दिनांक 20.03.97 निम्न प्रकार है :–

"S.O.347.- In exercise of the powers conferred by S.15, RST Rules 1995, the State Govt. being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so, hereby directs that tax under S.4, RST Act, 1994, in respect of sales of oilseeds, as defined in clause (vi) of S.14, CST Act, 1956, shall be payable at the last point in the series of sales by successive dealers."

4. उक्त अधिसूचना के जरिये तिलहन की बिक्री पर करदेयता अन्तिम बिन्दु पर की गयी थी। अधिनियम के नियम 15 के उप–नियम (2) के अनुसार अन्तिम बिन्दु वह बिन्दु होगा जो (1) राज्य में पुनर्विक्रय से भिन्न प्रयोजन हेतु या (2) किसी उपभोक्ता को विक्रय करने या (3) किसी अपंजीकृत व्यवहारी को किया गया विक्रय अन्तिम बिन्दु पर किया गया विक्रय होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 20.3.97 में तिलहन के अन्तिम बिन्दु पर कर देय करने से राज्य के भीतर कर का भुगतान नियम 15(2) के अनुसार अन्तिम बिन्दु पर किया जाना प्रावधित हो गया एवं राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 23(1)(ए) में यह प्रावधान किया हुआ था कि यदि व्यवहारी बिना कर चुकाये माल राज्य के भीतर पुनर्विक्रय करें तब क्रेता से घोषणा पत्र एस.टी.17 प्राप्त करेगा अर्थात् घोषणा पत्र एस.टी.17 क्रयकर्ता जारी करते हुए यह प्रमाणित करेगा कि उस माल के कर का भुगतान उसके द्वारा किया जायेगा। नियम 23 निम्नानुसार है :–

# 23. Furnishing of declaration forms for claiming concessions.-

(1) (a) A dealer, who claims exemption from payment of tax or payment of tax at a concessional rate or non-liability to pay tax, on the sales made to a registered dealer of goods (i) for resale within the State; or (ii) for sale in the course of inter-State trade or commerce; or (iii) for being used as raw material under subsection (1) of section 10; or (iv) for being used as processing article under sub-section (3) of section 10; or (v) for being used or disposed off in accordance with any condition specified in a notification; shall obtain a declaration form from the purchasing dealer in form ST 17 duly, filled in and signed, and shall furnish all such declaration forms to his assessing authority.

5. उक्त नियम अनुसार किसी क्रेता द्वारा घोषणा पत्र के जरिये बिना कर चुकाये अधिसूचित माल की खरीद की जा सकती है उसी क्रम में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 20.03.1997 की अधिसूचना के तहत 'तिलहन' की खरीद नियम 23 की पालना करते हुए घोषणा पत्र एस.टी.17 विक्रेताओं को जारी किये गये जिससे पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी, से कोई कर उदग्रहित

गये जिससे पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी से कोई कर उद्ग्रहित

-: 3 :--

नहीं किया गया। घोषणा पत्र एस.टी.17 में यह घोषणा की जाती है कि जो माल उनके द्वारा बिना कर चुकाये खरीद किया जा रहा है वह माल राज्य के भीतर पुनर्विक्रय किया जायेगा या वह अन्तर्राज्यीय विक्रय करेगा या उस माल को निर्माण में कच्चे माल के रूप में काम में लिया जायेगा या प्रोसेसिंग आर्टिकल के रूप में काम में लिया जायेगा या कोई रियायती कर दर का लाभ प्राप्त कर सकेगा। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा तिलहन की खरीद राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से बिना कर चुकाये इस शर्त पर की गयी थी कि उस माल का पुनः विक्रय वह राज्य के भीतर करेंगे। घोषणा पत्र एस.टी.17 का प्रारूप निम्न प्रकार है :--

#### FORM ST 17

## **DECLARATION FOR PURCHASES WITHIN THE STATE**

Book No.....

-: 4 :--

Counterfoil/Original/ Serial No.....

Duplicate

Date of issue.....

Name of the Office of issue.....

To, ..... (Seal of the issuing Authority) (Name and Complete address of the seller)

Certified that the goods.....ordered for in our order No.....dated.....and purchased from you as per your Bill/Cash Memo No.....dated.....of Rs.....are,-

(i) for resale within the State;

(ii) for sale in the course of inter-State trade or commerce;

(iii) for being used as raw material under sub-section (1) of section 10 of the Act;

(iv) for being used as processing articles under sub-section (3) of S.10 of the Act;

(v) exempt from tax to the extent to which rate of tax in respect thereof exceeds......% under Notification No.......... dated.......

(vi) specified in our certificate of registration and/or are exempt from tax with condition of furnishing declaration under Notification No......dated.....

> Signature of Proprietor/Partner/ Director/Karta/Manager (Address of the purchasing dealer with R.C.No.....)

Note : Put a tick mark with initials on the item which is applicable.

Date

6. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो माल राज्य के भीतर पुनर्विक्रय की घोषणा के साथ क्रय किया गया था उस माल को राज्य के भीतर विक्रय नहीं कर राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य के व्यवसायियों को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 5(3) के तहत विक्रय कर दिया गया जो कि Sale in the course of export के रूप में किया गया जिसके प्रमाण में अपीलार्थी ने निर्यात के समर्थन में घोषणा पन्न 'एच' भी प्राप्त किये एवं कर निर्धारण अधिकारी के समर्क्ष पेश किये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिना कर चुकाये घोषणा पत्र एस.टी.17 के समर्थन से जो माल खरीद किया गया है उस माल का पुनर्विक्रय राज्य के भीतर नहीं किया गया अतः उस माल पर अधिनियम की धारा 11(2) के तहत क्रय कर आरोपणीय होने से क्रय कर एवं ब्याज तथा शास्ति आरोपित की गयी, जिसमें ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर अपीलीय अधिकारी द्वारा क्रय कर की पुष्टि की जाने के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

-: 5 :--

7. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया है कि अपीलीय अधिकारी के आदेश में मगज की खरीद कम करने के पश्चात् अन्तिम रूप से अधिनियम की धारा 11(2) के तहत आरोपित किये गये क्रय कर में से रूपये 9,47,235 / – की पुष्टि की गयी है। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.3.1997 की कोई अबहेलना नहीं की है उन्होंने यह कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 2(38) एवं केन्द्रीय अधिनियम की धारा 4(2) की उचित व्याख्या के बिना क्रय कर आरोपित किया गया है जो अपास्तनीय है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स ओंकारलाल नन्दलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (1985) 60 एस.टी. सी. 314 (एस.सी.) का हवाला देते हुए कथन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय के मिर्जय की धारा 2(ओ) के Explanation II के प्रकाश में में राज्य के भीतर का विक्रय वो विक्रय माना है जो केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(2) के तहत माना गया हो।

8. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्र एस.टी. 17 का उपयोग पूरी तरह अधिसूचना की शर्तों की पालना करते हुए किया गया है एवं जो माल उनके द्वारा राज्य के बाहर के व्यवसायियों को निर्यात के क्रम में विक्रय किया गया है वह उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में राज्य के भीतर का ही विक्रय माना जायेगा अतः धारा 4 एवं नियम 15 के तहत जारी

# <u>-: 6 :- 1-2. अपील संख्या-1254/2008 व 1940/2008/पाली.</u>

अधिसूचना के अनुसार उनका विक्रय Resale within the state होने से उन पर क्रय कर का कोई दायित्व नहीं है इस तरह अधिनियम की धारा 11(2) के तहत क्रय कर आरोपणीय नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 820/1999/झालावाड़ मैसर्स अम्बालाल युन्नीलाल, झालावाड़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, झालावाड़ का दृष्टान्त भी प्रस्तुत किया।

9. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। साथ ही अपीलार्थी राजस्व की ओर से कर निर्धारण आदेश में आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति को उचित बताते हुए क्रय कर पर आरोपित ब्याज एवं शास्ति को अपास्त करने के अलावा अन्य बिन्दुओं पर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने को अविधिक बताया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने एवं राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायिक निर्णय दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। साथ ही इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये न्यायिक दृष्टान्तों का भी अध्ययन किया गया।

11. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में यह क्लेम किया है कि अपीलार्थी द्वारा जो माल विक्रय श्रृंखला में अन्तिम बिन्दु पर कर चुकाने की घोषणा के साथ वांछित घोषणा पत्र एस.टी.17 विक्रेता को जारी कर बिना कोई कर चुकाये जो माल खरीद किया था उसे राज्य के बाहर के निर्यातकों को in the course of export विक्रय किया गया है वह Resale within the State माना जाने से धारा 11(2) के तहत क्रय कर नहीं लगाया जा सकता।

12. अपीलार्थी व्यवहारी ने उक्त तर्क माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स ओंकारलाल नन्दलाल के निर्णय के आधार पर दिया है, जिसमें राजस्थान के ही व्यवसायी के समान तथ्यों के तहत अन्तिम बिन्दु पर कर देने की घोषणा के साथ घोषणा पत्र एस.टी.17 के समर्थन के साथ माल का क्रय किया गया था एवं उस माल को व्यवसायी द्वारा in the course of export विक्रय किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ था कि Sale in the course of export करने पर भी उसे Resale within the State ही माना जाये अथवा नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त प्रकरण में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 2(ओ) स्पष्टीकरण् (2) एवं राजस्थान

82 Juni 1706 17

विक्रय कर नियम, 1955 का घोषणा पत्र एस.टी.17 तथा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3, 4(1) एवं (2) के प्रावधानों के तहत Sale in the course of export को अधिनियम, 1954 की धारा 2(ओ) के तहत Resale within the State माने जाने की व्याख्या की गयी थी। धारा 2(ओ) के स्पष्टीकरण—II "A transfer of property in goods shall be deemed to have been made within the State if it fulfils the requirements of S.4(2), CST Act, 1956." उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में Sale in the course of export को Resale within the State माना गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुख्य भाग निम्न प्रकार है :—

-: 7 :--

"We must therefore proceed to interpret Explanation II to subsection (o) of Section 2 as if sub-section (2) of section 4 were written out verbatim in the Explanation and once sub-section (2) of Section 4 is written out in the Explanation, there is no occasion or need to refer to the Central Act from which this incorporation is made or to its purpose or context. We need not therefore allow ourselves to be oppressed by the opening words "Subject to the provisions contained in Section 3" in sub-section (1) of Section 4 or by the context in which Section 4 occurs in the Central Act.

We must accordingly read Explanation II to sub-section (o) of Section 2 of the State Act as if sub-section (2) of section 4 of the Central Act were written into it and then proceed to apply the Explanation to the facts of the present case in order to determine whether the resales effected by the assessee were sales inside the State within the meaning of the Explanation."

13. माननीय उच्चतम न्यायालय का यह आदेश दिनांक 23.9.1985 को किया गया था जो विक्रय कर अधिनियम, 1954 से सम्बन्धित था एवं इसमें किये गये संव्यवहार वर्ष 1975–76 एवं 1976–77 से सम्बन्धित थे। इसके अलावा विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड का मैसर्स अम्बालाल चुन्नीलाल का जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है वह भी वित्तीय वर्ष 1971–72 से 1973–74 के बीच की अवधि का था इस तरह ये दोनों ही निर्णय विक्रय कर अधिनियम 1954 की धाराओं से सम्बन्धित था जिसमें धारा 2(ओ) के स्पष्टीकरण–11 के विद्यमान होने के आधार पर निर्णय किया गया था। वर्ष 1994 में उक्त अधिनियम 1954 को निरसित कर राज्य में विक्रय कर अधिनियम 1994 लागू किया गया था तथा अधिनियम 1994 में "विक्रय" की परिभाषा धारा 2(38) में दी गयी है वह अधिनियम 1954 की धारा 2(ओ) से भिन्न थी जिसमें 1954 के अधिनियम की धारा 2(ओ) के स्पष्टीकरण–11 को हटा दिया गया था। दोनों ही धाराओं में अन्तर को स्पष्ट करने के लिये इनका उद्धूरण किया जाता है :–

#### Rajasthan Sales Tax Act, 1954 -

-: 8 :--

#### 2. Definitions.- (upto 01-04-1987)

- (O) "Sale", with all its grammatical variations and cognate expressions, means every transfer of property in goods for cash or deferred payment or for any other system of payment by instalments, but does not include a mortgage, or hypothecation of, or a charge or pledge on goods and the word 'purchase' or 'buy' shall be construed accordingly;
- **Explanation I.-** A transfer of property in goods shall be deemed to have been made within the State if it fulfils the requirements of S.4(2), CST Act, 1956.
- **Explanation II.-** A transfer of property in goods shall be deemed to have been made within the State if it fulfils the requirements of S.4(2), CST Act, 1956.

उक्त परिभाषा को दिनांक 01.04.87 एवं 22.04.1988 से (ओंकारलाल नन्दलाल के निर्णय के पश्चात्) निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया है :--

#### 2. Definitions.-

- (O) "Sale", with all its grammatical variations and cognate expressions, means every transfer of property in goods (other than by way of mortgage, hypothecation, charge or pledge) by one person to another for cash, or deferred payment or other valuable consideration and includes,-
  - (i) a transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;
  - (ii) a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) [involved in] the execution of a works contract;
  - (iii) a delivery of goods on hire-purchase or other system of payment by instalments;
  - (iv) a transfer of the right to use goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration:
  - (v) a supply of godos by any unincorporated association or4 b ody of person to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration;
  - (vi) a supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating); where such supply is for cash, deferred payment or other valuable consideration;

and such transfer, delivery or supply shall be deemed to be a sale and the word "purchase" or "buy" shall be construed accordingly:

**Explanation I.-** The transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract shall be deemed to take place within the State of Rajsthan if the goods are within the State at the time of their appropriation or application or use for the execution of the works contract irrespective of the place where the agreement for such works is made or from where the goods are transferred or delivered for use in the works contract.

**Explanation II.-** Where the work under a works contract is spread over many States including the State of Rajasthan, the proportionate work done withn the State of Rajasthan shall be deemed to be the sale under this clause irrespective of the place of agreement for works or the point of movement of goods involved in the execution of that works contract.

#### Rajasthan Sales Tax Act, 1994 -

#### 2. Definitions.-

-: 9 :--

- (38)."sale" with all its grammatical variations and cognate expressions means every transfer of property in goods by one person to another for cash, deferred payment or other valuable consideration and includes -
  - (i) a transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;
  - (ii) a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;
  - (iii) any delivery of goods on hire purchase or other system of payment by instalments;
  - (iv) a transfer of the right to use goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;
  - (v) a supply of goods by an unincorporated association or body of person to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration; and
  - (vi) a supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being foods or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating), where such supply is for cash, deferred payment or other valuable consideration;

and such transfer, delivery or supply shall be deemed to be a sale and the word "purchase" or "buy" shall be construed accordingly.

**Explanation I**: Notwithstanding anything contained in this Act, where any goods are sold in packing, the packing material in such case shall be deemed to have been sold with the goods, unless otherwise proved by the dealer.

**Explanation II** : A sale or purchase shall be deemed to take place inside the State -

-: 10 :--

(a) in case falling under sub-clause (ii), if the goods are in the State at the time of their use, application or incorporation in the execution of a works contract, notwithstanding that the agreement for the works contract has been wholly or in part entered into outside the State or that the goods have been wholly or in part moved from outside the State; and

(b) in case falling under sub-clause (iv), if the goods are used by the lessee within the State, whether or not for a specified period, notwithstanding that the agreement for the lease has been outside the State or that the goods have been moved from outside the State or the goods have been delivered to the lessee outside the State.

**Explanation III**: Where there is a single contract of sale or purchase in respect of goods stored or ascertained the State as well as at places outside the State, the goods stored or ascertained in the State shall be deemed sold separately in or from the State.

**Explanation IV**: Where the work under a work contract is spread over in many States including the State of Rajasthan, the part of the work done, within this State shall be deemed to be the sale made in the State, irrespective of the place of agreement for works or the point of movement of goods involved in the execution of that works contract.

इस तरह अधिनियम, 1954 की धारा 2(ओ) में भी दिनांक 01.04.1987 से 14. स्पष्टीकरण–11 एवं दिनांक 22.04.1988 से स्पष्टीकरण–1 में भी केन्द्रीय अधिनियम की धारा 4(2) के अध्यधीन होना विलोपित कर दिया गया था। अधिनियम 1994 में विक्रय की परिभाषा में भी केन्द्रीय अधिनियम की धारा 4(2) से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय का ओंकारलाल नन्दलाल का निर्णय धारा २(ओ) में संशोधन दिनांक 01.04.1987 होने के पश्चात् एवं अधिनियम 1994 की धारा 2(38) से प्रासांगिक नहीं रहा। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने अपील आधारों में यह बताना भी सत्य नहीं है कि अधिनियम 1994 की धारा 2(38) स्पष्टीकरण–III में भी पूर्ववर्ती अधिनियम 1954 जैसे ही स्पष्टीकरण दिये गये हैं क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण (III) में विक्रय को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 4(2) के अध्यधीन नहीं रखा गया है. बल्कि केवल किसी एक विक्रय का राज्य के भीतर या अलग--अलग राज्यों में विक्रय को अलग- अलग निश्चयीकरण करने के लिये दिया गया है। फलतः अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन धारा 2(38) के प्रावधानों से मेल नहीं खाता है चूंकि अपीलार्थी का प्रकरण वर्ष 2003–04 से सम्बन्धित है जो अधिनियम 1994 के प्रावधानों से कवर होता है तथा धारा 2(38) में राज्य के विक्रय को स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्र एस.टी.17 के समर्थन से की गई खरीद को स्वयं द्वारा की गई

घोषणा के अनुसार राज्य के भीतर विक्रय नहीं किया गया है एवं उसका कर राज्य को नहीं चुकाया गया है ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 11(2) के अनुसार राज्य के भीतर क्रय कर चुकाना बाध्यकारी है। अधिनियम 1994 की धारा 11(2) निम्न प्रकार है :--

### Section 11. Levy of purchase tax -

(1) .....

-: 11 :--

(2) Where any dealer has purchased any goods, otherwise than under the provisions of section 10, without paying any tax or after paying tax at concessional or reduced rate of tax on the strength of any declaration furnished by him under the Act, the purchase price of such goods shall be included in his taxable turnover and such dealer shall be liable to pay tax with interest at the same rate which would have been leviable on the sale price of such goods under sections 4 and 12, except in a case where such dealer satisfies the assessing authority that the said goods have been utilised for the purpose mentioned in the declaration form.

15. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 107 एस.टी.सी. 571 (एस.सी.) स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम मैसर्स बी.एम. अशरफ एण्ड कम्पनी में समान तथ्यों पर यह प्रश्न प्रस्तुत होने पर कि Sale in the course of export को क्या intrastate Sale माना जायेगा तब माननीय न्यायालय ने इसे नकारते हुए Sale in the course of export को intrastate sale नहीं माना है, जो निर्णय में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है –

"The expression "sale in the State" occurring in section 6 of the Karnataka Sales Tax Act, 1957, can only mean a local sale or an intra-State sale as opposed to sale in the course of export or in the course of inter-State trade or commerce. Therefore, wherever there is a sale in the course of export or an inter-State sale, that sale would not be regarded as a "sale in the State" falling under section 6. (see para 12)

Held, accordingly, that, where the respondent, a registered dealer under the Karnataka Sales Tax Act, 1957, purchased fish oil from unregistered dealers within the State of Karnataka, and sold the oil within the State to an exporter who purchased the oil in order to comply with the export order from its buyer in a foreign country, the sale effected by the respondent to the exporter had to be regarded as a sale in the course of export by virtue of section 5(3) of the Central Sales Tax Act, 1956, and, since it was not pursuant to an intra-State sale or as a result of inter-State trade or commerce, it fell directly within the ambit of section 6(i) of the Karnataka Sales Tax Act, 1957, and the respondent was, therefore, liable to purchase tax on the purchase of fish oil from unregistered dealers. (see para 15)"

16. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हाल में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 87/2016 जयराज जितेन्द्र कुमार जैन में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2016 में दिये निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि निर्यात के क्रम में किये गये विक्रय को Resale within the State नहीं माना जायेगा। फलतः अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्र के समर्थन से की गई खरीद जिसमें करदेयता का दायित्व स्वयं द्वारा वहन किये जाने की घोषणा की थी वह माल resale within the State न कर in the course of export किये जाने से अधिनियम की धारा 11(2) के तहत क्रय कर के दायित्वाधीन है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

-: 12 :--

17. राजस्व की ओर से प्रस्तुत की गयी अपील में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय किया जाता है :--

(1) घोषणा पत्र एस.टी.17 पर क्रय की गई तिलहन पर आरोपित किया गया कर अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिसम्मत घोषित किया गया था ऐसी स्थिति में उस पर ब्याज का दायित्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2011) 31 टैक्स अपडेट 303 (राज.) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा बनाम ममता सर्जिकल कॉटन इण्डस्ट्रीज के आलोक में स्वतः आरोपणीय था अतः इस बिन्दु पर राजस्व की अपील स्वीकार कर क्रय कर पर ब्याज की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में आरोपित ब्याज पुनर्स्थापित किया जाता है।

(2) घोषणा पत्र एस.टी.17 के समर्थन से क्रय किये गये तिलहन को बहियात में दर्ज कर उसे Sale in the course of export बताये जाने के सम्बन्ध में कर के अलावा अधिनियम की धारा 64 के तहत जो शारित आरोपित की गयी थी उसे अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी फर्म की करापवंचन की मंशा एवं दोषी मानसिकता नहीं होना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर विश्वास करके संव्यवहार किया जाना मानते हुए क्रय कर जमा नहीं कराया जाना मानकर शारित का आरोपण अविधिक मानते हुए इसे अपास्त किया गया था। इस सम्बन्ध में रेकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा अपनी खरीद बिक्री सम्बन्धी संव्यवहारों को लेखा—पुस्तकों में प्रविष्ठ किया हुआ था तथा इसे विवरण पत्रों में भी घोषित किया गया था। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 वी.एस.टी. 249 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य के आलोक में भी अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत पाये जाने से इस बिन्दु पर राजस्व की अपील अस्वीकूार की जाती है।

(3) अपीलीय आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर रूपये 13,72,500/- की बिक्री छिलका रहित तरबूज बीज (मगज) की मानकर उस पर आरोपित क्रय कर को अपास्त किया गया था उसका आधार तिलहन के क्रय मूल्य रूपये 2,50,12,195/- में छिलका रहित तरबूज बीज को भी सम्मिलित किया जाना ट्रेडिंग अकाउण्ट के अनुसार पाया गया था जो केवल रेकॉर्ड पर की गई गणना से सम्बन्धित है अतः रूपये 54,900/- का क्रय कर कम करने के किये गये अपीलीय आदेश में कोई विधिक भूल नहीं होने से इस बिन्दु पर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

(4) अपीलीय आदेश में तिल एवं रायड़ा का स्टॉक कम पाये जाने के आधार पर जो कर एवं शास्ति का आरोपण किया गया था उस सम्बन्ध में व्यवहारी के माल में कमी होने सम्बन्धी दिये गये कारण जैसे कि तिल की प्रोसेसिंग एवं ग्रेडिंग करने के दौरान छिलका, कचरे तथा रेत इत्यादि निकलने से माल के वजन में कमी होने के आधार पर कमी को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को **पुनः जांच हेतु प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है** अतः इस बिन्दु पर भी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

(5) अपीलीय आदेश में गेहूं का स्टॉक अधिक पाये जाने पर आरोपित कर एवं अधिनियम की धारा 77(8) के तहत जो शास्ति आरोपित की गई थी उस सम्बन्ध में भी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित विचार नहीं करने के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा समुचित अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में भी कोई न्रुटि नहीं की है अतः इस बिन्दू पर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

18. फलतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होती है अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर क्रय कर पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित ब्याज को पुनर्स्थापित किया जाता है, इसके अलावा अन्य बिन्दुओं पर अपीलीय आदेश की उपरोक्तानुसार पुष्टि की जाती है।

19. निर्णय सुनाया गया।

के. एल. जैन) सदस्य

सदस्य

-: 13 :--